कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/2019–20/1–163 दिनांक–29.09.2019 के तहत् रेखा पटेल, व्याख्याता, अर्थशास्त्र, राउमावि. बोरानाडा, लूणी जोधपुर का स्थानांतरण शहीद निम्बाराम डूडी राउमावि सालवां कला, मण्डोर, जोधपुर किया गया। रेखा पटेल ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी. सिविल रिट याचिका संख्या 14811/2019 रेखा पटेल बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 14811/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.19 द्वारा याचिकार्थिया रेखा पटेल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए ।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया रेखा द्वारा दिनांक 13/11/19 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके विशेष श्रेणी महिला (विधवा)होने एवं उनकी विकट पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाईयों के नद्देनजर उनका स्थानातंरण निरस्त कर पूर्व पदस्थापन स्थान राउमावि बोरनाडा मे यथावत रखे जाने की मांग की गई है !

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानातंरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्णय के अनुसरण में ही याचिकार्थिया को जोधपुर जिले में कार्यक्षेत्र के निकटतम ब्लाक में ही स्थानातंरित किया गया था किसी अन्य जिले में नहीं, गृह जिले में पदस्थापित रहते हुए भी वांछित स्थान पर पदस्थापन की याचिकार्थिया की मांग उचित नहीं है। याचिकार्थिया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थिया द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29/9/19 की अनुपालना में अपने स्थानातंरित स्थान पर शहीद निम्बाराम डूडी राउमावि. सालवाकलां मण्डोर जोधपुर में दिनांक 26/11/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्व राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/अभ्यावेदन/19–20 — दिनांकः–22/11/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि व रेखा पटेल व्या. अर्थशास्त्र के निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्व सीसीए नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग–प्रथम को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर ।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
8. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान